

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/वि०चि०पदा०-120/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० निकहत तबस्सुम, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(स्त्री रोग), अनुमंडलीय अस्पताल, नरकटियागंज, प० चम्पारण द्वारा दिनांक-16.09.2024 से 14.03.2025 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन उपभोगित/उपभोग किया जाने वाला अवकाश अवधि को वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-281(25), दिनांक 07.02.2025 एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० तबस्सुम को 550 (पाँच सौ पचास) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/वि०चि०पदा०-120/2024-

410(2)

पटना, दिनांक 12/03/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, प० चम्पारण, बेतिया/ उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, नरकटियागंज, प०चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/ डा० निकहत तबस्सुम, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(स्त्री रोग), अनुमंडलीय अस्पताल, नरकटियागंज, प० चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव